भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2848
उत्तर देने की तारीख : 12.08.2026

सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत अभिगम्यता अनुपालन

2848. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क): क्या मंत्रालय ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 तथा सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत सरकारी भवनों, सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं तथा सरकारी वेबसाइटों की अभिगम्यता अनुपालन का कोई आकलन किया है; और
(ख): यदि हां, तो नवीनतम आकलन के अनुसार निर्धारित अभिगम्यता मानकों के अनुरूप पाए गए सरकारी भवनों, सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं तथा सरकारी वेबसाइटों का प्रतिशत कितना है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क) से (ख): दिव्यांगजनों के लिए तीनों क्षेत्रों, नामत: निर्मित वातावरण, परिवहन और सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र में सुगम्यता बढ़ाने के लिए सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) को 03 दिसंबर 2015 को एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख पहल के रूप में शुरू किया गया था। सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) को सिपडा की एक उप-योजना, "बाधा मुक्त वातावरण के सृजन की योजना (सीबीएफई)" में 31 मार्च 2024 से शामिल कर लिया गया है। सीबीएफई मांग-संचालित योजनाएं होने के कारण, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से सभी तरह से पूर्ण , मौजूदा योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार और अनुपालन योग्य प्रस्तावों की प्राप्ति पर निर्भर करती हैं।

सीबीएफई/एआईसी योजना के अंतर्गत, विभाग ने 753 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी भवनों के रेट्रोफिटिंग के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को ₹608 करोड़ की राशि वितरित की है। इसके अलावा, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने 628 प्रभागों के अंतर्गत 168 शहरों में 1,100 सरकारी भवनों को सफलतापूर्वक रेट्रोफिटेड कर दिया है, जिसमें 48% (कम किए गए रिसेप्शन काउंटर) से लेकर 80% (हैंडरेल के साथ प्रवेश रैंप) तक की अलग-अलग अनुपालन दरें प्राप्त कर ली गई हैं।

इसके अलावा, 'राज्य में निहित हैं या राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले निर्माण कार्य, भूमि और भवन' राज्य सूची का विषय है, और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 41, 44 और 45 के अनुसार, समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य निर्मित अवसंरचना, परिवहन प्रणालियों और सुगम्य आईसीटी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए जिम्मेदार है। सरकारी भवनों, सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं और सरकारी वेबसाइटों की सुगम्यता अनुपालन के आकलन से संबंधित डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जा रहा है।
